न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या– 17/2026 + 76/2026

सी0आई0एस0 नं0– 19/2026

बिहार सरकार द्वारा सूचिका सुनीता देवी ....अभियोजन

बनाम्

गुंजन दास एवं मंजू देवी ....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।
उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,   जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।
निर्णय की तिथि   10वीं जुलाई, 2026.   (विचारण संख्या– 17/2026 + 76/2026, सी0आई0एस0 नं0– 19/2026)
प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–   पुपरी थाना कांड संख्या– 81/2025

Ashok Kumar Manjhi
10/07/26

परिवादी/सूचिका	बिहार सरकार द्वारा सुनीता देवी, पति–राजेन्द्र मुखिया, ग्राम–रामनगर बेदौल, वार्ड नं0–18, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।
अभियुक्तगणः– 1. गुंजन दास, उम्र–21 वर्ष, पिता–जीवन दास 2. मंजू देवी, उम्र–40 वर्ष, पति–सीताराम मुखिया साकिनान–रामनगर बेदौल, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्ताः–	श्री पति सहनी, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 17 / 2026 + 76 / 2026, सी0आई0एस0 नं0– 19 / 2026

पुपरी थाना कांड संख्या– 81 / 2025

निर्णय की तिथि– 10वीं जुलाई, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम गुंजन दास एवं मंजू देवी (अभियुक्तगण)

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	20.05.2024
प्राथमिकी का दिनांक	07.03.2025
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	02.01.2026
आरोप गठन का दिनांक	10.03.2026 & 05.06.2026
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	25.03.2026
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	07.07.2026
निर्णय का दिनांक	10.07.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार / उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	गुंजन दास	18.03.2026	-------	धारा 366–ए / 34, भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	03 माह 23 दिन
ए 2.	मंजू देवी	07.11.2025	-------	धारा 366–ए / 34, भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	07 माह 33 दिन

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	गुलटेन मुखिया	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	सुनीता देवी	सूचिका
अभियोजन साक्षी संख्या 4	हुसैन मुखिया	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 5	राजेन्द्र मुखिया	अन्य साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
10/07/26

कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ... व्यवहार न्यायालय

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित काराधीन अभियुक्तगण **1. गुंजन दास** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एंव **2. मंजू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, के अन्तर्गत ग्राम–रामनग बेदौल, वार्ड नं0–18, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढी में दिनांक–20.05.2024 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचिका सुनीता देवी के टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि मेरी पुत्री पीड़िता उम लगभग 17 वर्ष को ही मेरे पड़ोसी 1. मंजू देवी 2. रामबरन मुखिया 3. सुन्दर मुखिया 4. सीता देवी 5. विभा देवी 6. दिलखुश मुखिया सभी लोग मिलकर मेरी नाबालिग पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर दिनांक–20.05.2024 को करीब 11 बजे रात्रि में मेरी पुत्री को अपहरण कर देह व्यापार के नियत से ले गया। उक्त सभी लोगों ने मेरी पुत्री को बोला की बाहर चलो अच्छा काम धरा देंगे। कुछ दिन बीत जाने पर जब हम उक्त लोगों को बोला की हमारी पुत्री पीड़िता से बात करा दो तो बात नहीं करवाया एवं गाली–गलौज और मारपीट करने लगा साथ ही में मेरे परिवार के विरूद्व पुपरी थाना में केस दर्ज कर दिया। जिसके डर से हम भागे रहते थे। उक्त कांड के लेकर हम पुपरी थाना नहीं आते थे जो विलंब का कारण है। आज तक मेरी पुत्री पीड़िता कहां है वो लोग बताने से इंकार कर रहा है।

3. सूचिका के उपरोक्त टंकित आवेदन के आधार पर पुपरी थाना कांड संख्या–81/2025 दिनांक–07.03.2025 अन्तर्गत धारा 365, 366–ए/34, भा0द0वि0 एंव धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण **1. गुंजन दास 2. मंजू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 365, 366–ए/34, 376 एवं धारा

4/6, पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 365, 366–ए, एवं धारा 4/6/8, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. उपरोक्त नामित काराधीन अभियुक्तगण **1. गुंजन दास** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एव **2. मंजू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

इस वाद में एक पृथक वाद पूर्व मे लंबित था। इस मूल वाद मे मात्र एक अभियुक्त थे जबकि पृथक वाद मे एक अभियुक्त थे। पृथक वाद विचारण संख्या–76/2026 में पारित आदेश दिनांक–05.06.2026 के आलोक मे उक्त पृथक वाद जिसमे एक अभियुक्त **गुंजन दास** का चिचारण चल रहा था को इस विचारण संख्या–17/2026 मे समायोजीत किया गया, इस प्रकार अब इस मूल वाद मे कुल दो अभियुक्तगण का विचारण होगा। दोनों विचारण वाद इस निर्णय से निष्पादित किया जा रहा है। **1. गुंजन दास** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **2. मंजू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

6. कराधीन अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दु

7. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

Ashok Kumar Majhi
10/07/26

मंतव्य

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल 05 साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1** पीड़िता, **अभियोजन साक्षी संख्या–2 गुलटेन मुखिया, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुनीता देवी** (सूचिका), **अभियोजन साक्षी संख्या–4 हुसैन मुखिया एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजेन्द्र मुखिया** है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पी–1 बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया।

बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

9. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह मुकदमा मेरी मां सुनिता देवी ने मेर अपहरण को लेकर मंजू देवी, रामवरण मुखिया, सुंदर मुखिया, सीता देवी, विभा देवी और दिलखुश मुखिया के विरूद्व की थी। घटना के समय मेरी उम्र–18 वर्ष थी। यह घटना आज से आठ–नौ महीने पूर्व की है, दिन की घटना है। उस समय मैं अपने पति गुंजन दास के साथ राजस्थान मे थी। मै गुंजन दास से शादी मेरी मां के द्वारा केस करने के एक साल के बाद की थी। मुकदमा के आठ–नौ महीने के बाद जब मैं अपने पति के साथ घर आई तभी पुलिस मुझे बरामद करके थाना ले गई थी। उसके बाद पुलिस मेरा बयान कराने के लिए न्यायालय ले गई थी। न्यायालय में बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। मेरे पति गुंजन दास मेरे साथ मारपीट करता था ऐसा न्यायालय बयान दी थी। मैं न्यायालय मे बयान के बाद अपने मां के साथ चली गई थी, उस समय मैं गर्भवती थी। वर्तमान मे मैं अपनी मां के पास रह रही हूं। मेरे पति गुंजन दास के विरूद्व भी केस है और वर्तमान मे मेरे पति जेल मे है। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त मंजू देवी मेरी चाची है, जिसे पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था और मेरी मां गलतफहमी मे यह मुकदमा कर दी थी। मैं न्यायालय मे दिये गये बयान अपने पति के कहे अनुसार दी थी। अभियुक्त मंजू देवी मेरी चाची है। रामवरण मुखिया पड़ोसी का भाई लगता है। अभियुक्त मंजु देवी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पुलिस के साथ मैं न्यायालय में आई थी और धारा 183 बी.एन.एस.एस. में मेरा ब्यान दर्ज हुआ था। पुलिस ने जैसा मुझको बताई थी, वैसा ही मैंने न्यायालय में ब्यान दी थी। गुंजन दास ने मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया था और न ही कभी कोई दुर्व्यवहार किया था। मैं अभियुक्त गुंजन दास से शादी कर ली हूं। मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस के साथ मैं न्यायालय में आई थी और धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में मेरा बयान दर्ज हुआ था। पुलिस ने जैसा मुझको बताई थी, वैसा ही मैंने न्यायालय मे बयान दी थी। गुंजन दास ने मेरे साथ किस भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही कभी कोई दुर्व्यव्यवहार किया था। मैं अभियुक्त गुंजन दास से शादी कर ली हूं। मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 गुलटेन मुखिया** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह मुकदमा मेरी मां के द्वारा मंजु देवी, रामवरन मुखिया, सुंदर मुखिया एवं सुंदर मुखिया की पत्नी के विरूद्व की थी। यह घटना आज से आठ माह पूर्व की है, आठ बजे रात

Ashok Kumar Majhi
10/07/26

की है। उस समय मैं काम करने के लिए दूसरे जगह गए हुए थे। मेरी बहन पीड़िता अपनी मौसी के घर चली गई थी, उस समय उसकी उम्र 16–17 वर्ष थी। जब मेरी बहन पीड़िता की खोजबीन किए नहीं मिलने के बाद मेरी मां ने यह मुकदमा कर दी थी। केस होने के ढ़ेढ महीने के बाद पीड़िता को मेरे माता–पिता अपनी मौसी के घर से लाई थी। पीड़िता की बरामदगी की सूचना मेरी मां ने पुलिस को दिए थे, पुलिस ने पीड़िता को बयान हेतु न्यायालय लाई थी। न्यायालय मे बयान के बाद मेरी बहन पीड़िता हमलोगों के साथ चली गई थी। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त मंजू देवी को पहचानता हूं, एवं शेष अभियुक्त जो आज न्यायालय नहीं आए उसे भी देखकर पहचानता हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी मां ने शंका के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व यह मुकदमा की थी। मेरी बहन पीड़िता न्यायालय मे बयान देने के लिए मेरी मां और पुलिस के साथ आई थी। अभियुक्त मंजु देवी मेरे रिश्ते मे चाची लगती है, इन्होने मेरी बहन का कोई अपहरण नहीं किया था।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुनीता देवी (सूचिका)** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह केस की मैं सूचिका हूं। यह केस मैंने मंजू देवी, रामवरन मुखिया, सुंदर मुखिया, सीता देवी, विभा देवी, दिलखुश मुखिया पर किये है। यह घटना साल भर पहले की है। घटना रात्रि के समय की है। मैं घटना के समय अपने घर पर नहीं थी। जिसका नाम बताई हूं, वह सब पीड़िता को ले गए थे। घटना के समय पीड़िता की उम्र 19 वर्ष थी। मैं केस करने थाना पर गई, जैसा मैं बोली थी, वैसा ही आवेदन टाईप करने के उपरांत मुझे सुना दिया गया, जिसको सही पाकर मैंने अपना अंगूठा का निशान उस पर बनाई थी। मेरे द्वारा केस किये जाने के बाद पीड़िता को पुलिस ने घटना के साल भर बाद बरामद किया था, पीड़िता को बरामद किये जाने के बाद पुलिस ने मुझे खबर की थी, पुलिस पीड़िता का बयान कराने के लिए न्यायालय में लाई थी, मैं भी साथ में आई थी। पीड़िता का डॉक्टरी जांच भी हुआ था। बयान होने के बाद पीड़िता में साथ गई थी। अभी पीड़िता मेरे ही पास में है। आज न्यायालय में उपस्थित मुदालय मंजू देवी एवं गुंजन दास को मैं पहचानती हूं।

Ashok Kumar Manjhi
10/07/26

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मंजू देवी मेरी अपनी दायादिन है। शंका के आधार पर, लोगों के कहने पर मैंने मंजू देवी का नाम इस केस में दिया था। बाद में मुझे पता चला था कि पीड़िता का अपहरण मंजू देवी के द्वारा नहीं किया गया था। मुझे मुदालय मंजू देवी से कोई शिकायत नहीं है। पीड़िता की उम्र अभी वर्तमान में 20–21 वर्ष की है। गुंजन दास ने पीड़िता का अपहरण नहीं किया था। गुंजन दास से मुझे अब कोई शिकायत नहीं है।

कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 हुसैन मुखिया** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह केस मेरी मॉ ने मेरी बहन पीड़िता के अपहरण के संबंध में किया है। घटना 4 माह पहले की है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 18–20 वर्ष होगी। घटना के वक्त मैं गांव घर पर नहीं

था, बाहर में था। घटना के बारे में मुझे गांव–घर का आदमी ने बताया था। गांव–घर के अगल–बगल के लोग मुझको बताए थे कि तुम्हारे बहन पीड़िता का अपहरण मंजू देवी, रामवरण मुखिया, सीता देवी, विभा देवी, सुंदर मुखिया, दिलखुश मुखिया एवं गुंजन दास ने कर लिया है। पीड़िता घटना के दो–तीन माह के बाद मिल गई थी, हमलोगों ने स्वंय पीड़िता को खोजबीन किये थे और गुंजन दास के संबंधी के ग्राम–सोनौल, थाना–सुबौली से पीड़िता को बरामद कर के लाए थे। आज न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्तों गुंजन दास एवं मंजु देवी को मैं देखकर पहचान रहा हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी मॉ गांव वालों के कथानुसार दिग्भ्रमित होकर के मंजु देवी का नाम इस केस में दे दी थी। मेरी बहन पीड़िता का मंजू देवी ने अपहरण नहीं की थी। मेरा मंजु देवी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बहन पीड़िता का किसी ने अपहरण नहीं किया था। गुंजन दास से मेरी कोई शिकायत नहीं है। पीड़िता ने गुंजन दास के साथ शादी कर ली है और खुशीपूर्वक रह भी रही है।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजेन्द्र मुखिया** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह मुकदमा मेरी पत्नी ने अपनी पुत्री पीड़िता के अपरहण को लेकर मंजु देवी, रामबरण मुखिया, सुंदर मुखिया, सीता देवी, विभा देवी और दिलखुश मुखिया के विरूद्व किया है। यह घटना आज से आठ–नौ महीने पहले की है, छः–सात बजे शाम की है। उस समय मैं मछली बेचने के लिए गए थे, जब घर पर लौंट कर आये तो पता चला कि मेरी पुत्री को उक्त लोगों ने अपहरण कर लिया है। केस करने के छः से सात महीने के बाद पुलिस पीड़िता को बरामद किया और बयान कराने हेतु न्यायालय लाई थी, न्यायालय मे बयान के बाद पीड़िता मेरे पास चली आई थी। सभी मुदालहगण को पहचानता हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी पत्नी ने दिगभ्रमित हो जाने के कारण इस केस मे अभियुक्त मंजू देवी का नाम दे दिया है। मेरी बेटी पीड़िता का कोई अपहरण नहीं हुआ था। आज से पहले मेरा कहीं इस केस में बयान नहीं हुआ है। अभियुक्त मंजू देवी ने मेरी पुत्री पीड़िता का अपहरण नहीं किया है। मेरी पुत्री पीड़िता न्यायालय मे बयान देने से पूर्व किसी प्रकार की कोई अपहरण की बात नहीं बताई थी। अभियुक्त मंजू देवी अपनी भाभो है और मुझे अभियुक्त मंजु देवी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बेटी प्रीड़िता को किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। मेरी बेटी पीड़िता अभियुक्त गुंजन दास से शादी कर ली है और इस शादी से मेरी बेटी खुश है। इस शादी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है।

Ashok Kumar Manjhi
10/07/26

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है और

अभियुक्तगण को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को रिहा किया जाय।

15. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 05 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता** है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती है कि मैं इस केस की पीड़िता हूं। न्यायालय मे बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था और मेरी मां गलतफहमी मे यह मुकदमा कर दी थी। कंडिका 6 अभियुक्त मंजू देवी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 9 अभियुक्त गुंजन दास ने मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया था। कंडिका 10 अभियुक्त गुंजन दास से शादी कर ली हूं। कंडिका 11 मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या–2 गुलटेन मुखिया** है। यह अपने प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरी मां ने शंका के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व यह मुकदमा की थी। कंडिका कंडिका 5 अभियुक्त मंजू देवी मेरे रिश्ते मे चाची लगती है, इन्होंने मेरी बहन पीड़िता का कोई अपहरण नहीं किया था। **अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुनीता देवी (सूचिका)** है। यह अपने मुख्य–परीक्षण मे कहती है कि मैं इस वाद की सूचिका हूं। टंकित आवेदन पर अंगूठे का निशान करके थाना में दी थी। प्रति–परीक्षण के कंडिका 14 शंका के आधार पर लोगों के कहने पर मैंने मंजू देवी का नाम इस केस मे दी थी। कंडिका 15 मुझे बाद मे पता चला था कि पीड़िता का अपहरण अभियुक्त मंजू देवी के द्वारा नहीं किया गया था। कंडिका 16 मुझे मुदालह मंजू देवी से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 18 अभियुक्त गुंजन दास ने पीड़िता का अपहरण नहीं किया था। कंडिका 19 अभियुक्त गंजुन दास से मुझे कोई शिकायत नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या–4 हुसैन मुखिया** है। यह अपने प्रति–परीक्षण के कंडिका 9 मेरी मां गांव वालों के कहने पर दिगभ्रमित होकर अभियुक्त मंजू देवी का नाम इस केस में दी थी। कंडिका 10 मेरी बहन पीड़िता का अपहरण अभियुक्त मंजू देवी ने नहीं किया था। कंडिका 11 मुझे अभियुक्त मंजू देवी से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 13 मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 14 पीड़िता ने अभियुक्त गुंजन दास के साथ शादी कर ली है और खुशीपूर्वक रह भी रही है। **अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजेन्द्र मुखिया** है। यह प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरी पत्नी दिगभ्रमित हो जाने के कारण इस केस में अभियुक्त मंजू देवी का नाम दे दिया है। कंडिका 4 मेरी बेटी पीड़िता का कोई अपहरण नहीं हुआ है। कंडिका 6 अभियुक्त मंजू देवी ने मेरी पुत्री पीड़िता का अपहरण नहीं किया है। कंडिका 8 अभियुक्त मंजू देवी मेरी अपनी भाभो है और मुझे इस अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 10 मेरी बेटी पीड़िता अभियुक्त गुंजन दास से शादी कर ली है और इस शादी से मेरी बेटी खुश है। मुझे इस शादी से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 11 मुझे अभियुक्त गुंजन दास से कोई शिकायत नहीं है।

इस वाद मे अभियोजन साक्षी पीड़िता जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका

कथन है कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। मेरी मां ने गलतफहमी में यह मुकदमा कर दी थी। सूचिका का कथन है कि मेरी बेटी पीड़िता का अपहरण नहीं हुआ था और मैं शंका के आधार पर गांव के लोगों के कहने पर यह मुकदमा कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षियो के द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन पक्ष के द्वारा अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदेहात्मक हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लाए गए सभी आरोपों से युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः हर दृष्टिकोण से असफल रहे है। परिणामतः

आदेश

16. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रदर्शो पर विचार करते हुए न्यायालय इस नतीजे पर पाता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित किसी भी धारा को युक्तियुक्त संदेहों को पूर्ण करने मे असफल रहे है। अतः काराधीन अभियुक्तगण **1. गुंजन दास** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **2. मंजू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए/34, से साक्ष्य के अभाव मे संदेहों का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण मंडल कारा सीतामढ़ी मे काराधीन है। अतः कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्व काराधीक्षक सीतामढ़ी को मुक्ति अधिपत्र अविलंब निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित
Ashok Kumar Manjhi 10/7/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 10.07.2026

लेखापित
Ashok Kumar Manjhi 10/7/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 10.07.2026

1.	Date of Judgement/Order	07-07-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	10-07-2026
3.	Uploading Date	20-07-2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar